

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-503/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

सुन्दर पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादीया

बनाम

1. हेतराम पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. मनीष पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. दुलीचन्द पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ नाबालिग जरीये कुदरती बली व माता तुलछीदेवी।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री प्रभुदयाल सहारण वकील-वादीया

श्री करणीसिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक- 19.11.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक 5 सीएलडी^{अ. 130 अ} की 13.512 है. व चक 6 जेबीडी^{अ. 401 अ} की 8.402 है. की जमाबन्दी दुरस्त कर गैरखातेदारी की बजाय खातेदारी दर्ज करते हुए आराजी जरई चक नं. 5 सीएलडी के प0नं0 75/6 के कि0नं0 16 ता 18 की .759 है0, 23/2 की .228 है, 24/1 की .228 है., 25/2 की .228 है., प0नं0 75/7 के कि0नं0 3 ता 8 की 1.518 है0, 12 ता 19 की 2.024 है0, 23 ता 25 की .759 है0, प0नं0 75/8 के कि0नं0 3 व 4 की .506 है0, प0नं0 75/14 के कि0नं0 18 ता 20 की .759 है0, 21/2 की .228 है0, 22/2 की .228 है0, 23/2 की .228 है0, प0नं0 75/15 के कि0नं0 1 ता 3 की .759 है0, 8 ता 11 की 1.012 है0, 13 की .253 है0, 18 ता 23 की 1.518 है0, प0नं0 75/16 के कि0नं0 2 ता 4 की .759 है0, 7 ता 9 की .759 है0, 12 ता 14 की .759 है0 कुल 13.512 है0 व चक नं. 6 जेबीडी के प0नं0 35/3 के कि0नं0 23/2 की .228 है0, 24/2 की .228 है0, 25/2 की .228 है0, प0नं0 35/4 के कि0नं0 3 ता 5 की .759 है0, 7 की .253 है0, 13 की .253 है0, 17 व 18 की .506 है0, 24 व 25 की .506 है0, प0नं0 35/5 के कि0नं0 4 ता 7 की 1.012 है0, 14 व 15 की .506 है0, 17 की .253 है0, 35/11 के कि0नं0 21/1 की .228 है0, 22/2 की .228 है0, 23/1 की .228 है0, 24/2 की .228 है0, 25/1 की .228 है0, प0नं0 35/12 के कि0नं0 1 ता 3 की .759 है0, प0नं0 35/13 के कि0नं0 1 की .253 है0, 9 ता 14 की 1.518 है0, कुल 8.402 है0, व चक नं. 6 जेबीडी के प0नं0



Om ?
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

35/4 के कि०नं० 6 की .253 है०, 14 ता 16 की .759 है०, प०नं० 35/12 के कि०नं० 4 ता 25 की 5.566 है०, प०नं० 35/13 के कि०नं० 2 ता 4 की 0.759 है., 5/1 की 0.228 है., 5/2 की 0.025 है. गै.मु. खाला, 6/1 की 0.228 है., 6/2 की 0.025 है. गै.मु. खाला, 7 - 8 की 0.506 है०, प०नं० 35/20 के कि०नं० 1/2 की .215 है०, 10/2 की .215 है०, 11/2 की .215 है०, 20/1 की .215 है०, 21/2 की .215 है०, कुल 9.424 है० तहसील रावतसर की भूमि के प्रतिवादी नम्बर 2, 3, 4 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्तेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्ताख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.11.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
जमाखुम्द अधिकारी
रावतसर